Jh j.kqdk th eyk ¼Jh j.kqdk th fodkl ckM½] fljekSj] fgekpy in'k d y[kkvk dk vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 04@99 l 03@2011

1 iLrkouk%&

श्री रेणुका जी विकास बोर्ड का गठन हिमाचल प्रदेष सरकार द्वारा वर्ष 1984 में अधिसूचना संख्या ए0डी0–ए (ए) 4–5/84 षिमला–2 दिनांक 19.09.1984 द्वारा किया गया था तथा प्रत्येक तीन वर्ष के उपरान्त बोर्ड का पुर्नगठन समय समय पर सरकार के भाषा एवं संस्कृत विभाग द्वारा अधिसूचित की जाती है। श्री रेणुका जी विकास बोर्ड द्वारा ही श्री रेणुका जी मेले का आयोजन किया जाता है। अतिरिक्त उपायुक्त सिरमौर एवम् अध्यक्ष, रेणुका जी विकास बोर्ड स्थित नाहन द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र के अनुसार (परिषिष्ट "क" पर देखे) श्री रेणुका जी मेले से प्राप्त आय/व्यय का लेखांकन रेणुका जी विकास बोर्ड की रोकड़ वही में किया जाता है। इसके साथ ही आय/व्यय के लिए श्री रेणुका जी विकास बोर्ड के नाम से ही बैंक में खाते संचालित किए जातें है। श्री रेणुका जी विकास बोर्ड में उपायुक्त सिरमौर बतौर अध्यक्ष तथा अतिरिक्त जिला उपायुक्त, सिरमौर उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे है। वर्तमान में श्री रेणुका जी विकास बोर्ड के 13 सरकारी सदस्य एवं 22 गैर सरकारी सदस्य है। 22 गैर सरकारी सदस्य द्वारा अपने मे से किसी एक सदस्य को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में मनोनीत किया जाता है। श्री रेणुका जी विकास बोर्ड का मुख्य कार्य श्री रेणुका जी मेले का सफल आयोजन करना है।

xEHkhj vfu;ferrk dk laf{kIr fooj.k%&

Ø0la0	xEHkhj vfu;ferrk dk laf{kIr fooj.k	vads{k.k iSjk la0	jkf'k ¼₹½
1	श्री रेणुका जी विकास बोर्ड (श्री रेणुका जी मेले) की रोकड़ वही एवं बैंक खातों में अन्तर के कारण प्राप्त आय का संभावित दुर्विनियोजन	4 (क) से (च)	7805
2	रेणुका जी विकास बोर्ड के रेणुका जी मे स्थित गेस्ट हाऊस एवं कुब्जा पवेलियन (सराय भवन) से प्राप्त आय का सम्भावित दुर्विनियोजन	6	312984
3	मन्दिर दान पत्र से प्राप्त आय का सम्भावित दुर्विनियोजन	7 (क)	120732
4	नीलामी से प्राप्त आय का सम्भावित गबन	8	4260
5	ग्राउन्ड रेंट कम जमा किया जाना	9	1350
6	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री रेणुका जी विकास बोर्ड, जिला सिरमौर द्वारा व्यय वाउचर प्रस्तुत न करने बारे	11	1016351
7	वाहन व यात्रा भत्ते का समर्थित अभिलेख के बिना	12	20000

	अनियमित भुगतान		
8	मै0 ज्वाला लाईट व टैन्ट हाउस को वास्तविक बिल से अधिक भुगतान	13	20000
9	मै0 ज्वाला लाईट व टैन्ट हाउस को अनाधिकृत रूप से अधिक भुगतान	15	11347
10	मै0 ज्वाला लाईट व टैंट हाउस को बिजली के सामान का अधिक भुगतान	16	17595
11	कलाकारों के अनुबन्ध के विरूद्ध अनियमित व अधिक भुगतान	17	10000
12	राषि का समायोजन दिनांक 31.3.2011 तक न किया जाना	18 (क)	6084
13	श्री रेणुका जी मेले की स्मारिका में दिये गये विज्ञापनों के प्रभारों की वसूली दिनांक 31.3.2011 तक न करने बारे	22	51800

2 orZeku vads{k.k%&

श्री रेणुका जी मेले के अवधि 05/99 से 03/2011 तक के लेखाओं का प्रथम अंकेक्षण एवं निरीक्षण श्री अनिल षर्मा, अनुभाग अधिकारी तथा श्री रविन्दर सिंह, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 26.12.2011 से 06.02.2012 तक उपायुक्त, कार्यालय, नाहन, जिला सिरमौर हि0प्र0 में किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों मे वर्णित हैं। लेखाओं की विस्तृत जॉच हेतु मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया हैः–

Ø0 l0	o"k	vk;	0;;
1	1999—2000	11/99	11/99
2	2000—01	11/2000	11/2000
3	2001—02	11/2001	11/2001
4	2002—03	11/2002	11/2002
5	2003—04	11/2003	11/2003
6	2004—05	11/2004	11/2004
7	2005—06	06/2005	12/2005
8	2006—07	11/2006	11/2006
9	2007—08	11/2007	11/2007
10	2008—09	11/2008	11/2008
11	2009—10	10/2009	11/2009
12	2010—11	11/2010	11/2010

इसके अतिरिक्त यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं वित्तीय स्थिति उपायुक्त कार्यालय सिरमौर द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर तैयार की गई है। उपायुक्त कार्यालय सिरमौर द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत सूचना एवं सूचना प्रदान न करने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का उत्तरदायित्व केवल जॉच हेतु उक्त चयनित मासों तक ही सीमित है।

3 vd{k.k 'kYd%&

अवधि 05/99 से 03/2011 तक के लेखा–परीक्षण का अंकेक्षण षुल्क ₹30600/–आंका गया, जिसे उपायुक्त कार्यालय सिरमौर को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 25/2012 दिनांक 04.02.2012 के द्वारा निदेषक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेष को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रेषित करने हेतु आग्रह किया गया है।

4 foÙkh; fLFkfr%&

अंकेक्षण अवधि 05/99 से 03/2011 के दौरान श्री रेणुका जी मेले (श्री रेणुका जी विकास बोर्ड) की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

उपरोक्त वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत दिनांक 31.3.2011 को रोकड़ वही व बैंक खातों में जमा राषि में ₹43129/–(245454.07(–) 202325.07) का अन्तर आ रहा है, जो निम्न कारणों से हैः–

¼d½ वर्ष 2001–02 की वित्तीय स्थिति के अनुसार ₹1648/– के अन्तर का कारण इस राषि को रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 24 पर दिनांक 30.11.'2001 को हस्तगत कुल राषि में से बिना व्यय प्रमाणक के घटाया जाना था इस प्रकार ₹1648/–को अनाधिकृत रूप से रोकड़ वही से घटाये जाने के परिणामस्वरूप ₹1648/–के दुर्विनियोजन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। यह स्थिति दिनांक 31.3.11 तक यथावत थी। अतः इस सम्बन्ध में पूर्ण छानबीन करके वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹1648/–की वसूली उचित माध्यम से करके अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

¼[k½ वर्ष 2006–07 की वित्तीय स्थिति में कुल ₹7805/– का अन्तर था जिसमें वर्ष 2001–02 के ₹1648/– भी षामिल हैं, षेष ₹6157/– के अन्तर का कारण दिनांक 31.3.2007 को हिमाचल प्रदेष स्टेट कोओपेरटिव बैंक अकाऊंट संख्या 606 के षेष को गलत लेने के कारण था बैंक पास बुक में दिनांक 31.3.2007 को षेष ₹679885/–था जबकि रोकड़ वही में बैंक अकाऊंट संख्या 606 का षेष ₹686042/– लिया गया था। इस प्रकार रोकड़ वही में बैंक अकाऊंट संख्या 606 के षेष को अनाधिकृत रूप से ₹6157/– बढ़ा कर दिखाया गया था। यह स्थिति दिनांक 31.3.11 तक यथावत थी जिससे ₹6157/–के दुर्विनियोजन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः इस सम्बन्ध में पूर्ण छानबीन करके रोकड़ वही में बैंक अकाऊंट संख्या 606 के षेष को बढ़ा कर दिखाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा बैंक अकाऊंट संख्या 606 के षेष में बढ़ाई गई राषि की वसूली उचित माध्यम से करके, कृत कार्रवाई से इस विभाग को षीध्र सूचित किया जाए।

¼x½ बैंक अकाऊंट संख्या 179 का दिनांक 31.3.2011 को षेष 104991.07 था (बैंक प्रमाण पत्र अनुसार) जबकि रोकड़ वही में दिनांक 31.3.11 को षेष 140315.07 दर्षाया गया था। इस प्रकार दोनों के बीच ₹35324/–का अन्तर निम्न कारणों से था तथा कुल अन्तर 35324+उक्त पैरा "क" व "ख" के अनुसार 7805 अर्थात कुल अन्तर ₹43,129/–बनता है, जिसमें 7805/–की राषि के सम्बन्ध में पैरा "क" व "ख" अनुसार यथापेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से षीध्र इस विभाग को अवगत किया जाए।

Balance as per cash Book	140315.07
Less: Cheques deposited but not credited up to 31.03.2011	
Cheque No. 835473 deposited in bank on dated 21.03.2011 but credited in bank on dated 02.04.2011	50000
Add: Cheques issued but not presented for payment up to 31.03.2011	90315.07
Cheque No. 06457867 issued om dated 30.11.10 but presented for pqyment on dated 02.04.11	5000
Cheque No. 6457868 issued om dated 29.11.2010 but presented for payment on dated 02.04.11	4996
Cheque No. 06457863 issued on dated 01.03.2011 but presented on	4680

dated 10.05.2011

Balance as per Bank Pass Book **104991.07**

5 ¼i½ efUnj nku ik= ls ikIr lksus pkanh dh oLrqvksa dk fooj.k fu;ekuqlkj ntZ u djus ckjs&^

मन्दिर दान पात्र से सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच पर पाया गया कि दान पात्र से समय–समय पर प्राप्त सोने एवं चॉदी के आभूषण आदि का नियमानुसार भण्डारण रजिस्टर में इन्द्राज नहीं किया गया था। जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्त सोने एवं चॉदी के सामान की सही प्रकार से जॉच नहीं की जा सकी। अंकेक्षण के दौरान श्री रेणुका जी विकास बोर्ड के अधिकारियों द्वारा सोने एवं चॉदी के सामान की स्थिति विवरणिका जारी की गई है जिसे प्रतिवेदन के परिषिष्ट (ख) पर संलग्न किया गया है। इस सन्दर्भ में श्री रेणुका जी विकास बोर्ड के अधिकारियों को सुझाव दिया जाता है कि दान पात्र से प्राप्त सोने एवं चॉदी व अन्य कीमती सामान की वर्षानुसार प्राप्त सोने चॉदी व अन्य कीमती आभूषणों के स्वरूप व वजन के दृष्टिगत विवरणी तैयार की जाए व समस्त मदों को भण्डारण रजिस्टर में तदानुसार इन्द्राज करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण के समय अभिलेख सहित सत्यापनार्थ प्रस्तुत की जाए।

¼ii½ efUnj nku ik= ls ikIr lksus pkanh dh oLrqvksa dk Hk.Mkj.k iftLVj esa ntZ u djus ckjs&

श्री रेणुका जी मेले के दान पात्र रजिस्टर की जॉच में पाया गया कि दिनांक 20.11.2002 को दान पात्र रजिस्टर पृष्ठ संख्या 8 पर निम्न सोने–चांदी की प्राप्त वस्तुओं का विवरण दिया गया था।

Ø0 l0	fooj.k
1	एक कोका सोना
2	एक चुटकी चांदी
3	एक अगूंठी टूटी हुई चॉदी की
4	एक सिक्का चांदी का पुराना

उपरोक्त सोने चॉदी की वस्तुओं को दान पात्र रजिस्टर पृष्ठ 8 पर दी गई टिप्पणी के अनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री रेणुका जी विकास बोर्ड, जिला सिरमौर द्वारा तहसीलदार संगड़ाह, जिला सिरमौर को दिया गया था। अंकेक्षण में जांच पर पाया गया कि इस प्राप्त सामान का सोने चॉदी के स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज नहीं किया गया था जो आपत्तिजनक है। अतः इस सम्बन्ध में नियमानुसार आवष्यक कार्रवाई करके अनुपालना से इस विभाग को षीध्र सूचित किया जाए।

6 j.kqdk th fodkl cksMZ ds j.kqdk th esa fLFkr xsLV gkml ,oa dqCtk iofy;u ¼ljk; Hkou½ ls ikIr vk; ₹312984@&dk lEHkkfor xcu&

रेणुका जी विकास बोर्ड के रेणुका जी स्थित हाउस एवं कुब्जा पवेलियन (सराय भवन) की आय की जॉच करने पर पाया गया कि निम्न रसीद बुकों से प्राप्त आय को रेणुका जी विकास बोर्ड की रोकड़ वही में इन्द्राज नहीं किया गया था, और न ही रसीद बुकों से प्राप्त आय को सम्बन्धित बैंक खाते में जमा करवाया गया, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस एकत्रित धनराषि का सम्भावित दुर्विनियोजन किया गया है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 14/2012 दिनांक 17.01.2012 द्वारा उपायुक्त सिरमौर एवं अध्यक्ष श्री रेणुका जी विकास बोर्ड को

अवगत करवाया गया तथा उनके द्वारा इस सन्दर्भ में दिनॉक 20.01.2012 को सूचित किया गया कि मामले की विस्तृत जांच करवाई जा रही है परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस सम्बन्ध में कोई प्रगति रिपोर्ट अंकेक्षण को सूचित नहीं की गई। अतः इस सम्बन्ध में विभागीय स्तर पर आवष्यक छानबीन की जाए तथा राषि के दुर्विनियोजन की स्थिति में षामिल राषि की वसूली हेतु आयवष्यक कार्रवाई करके अनुपालना से यथासमय इस विभाग को सूचित किया जाए।

Period	**Receipt No.**	**Guest House/Kubja Pavilion Register Page No.**	**Amount collected**	**Amount deposited**	**Date of deposit**	**Amount not deposited Less deposits**
03.1104 to 03.12.04	928 to 954	18 to 22	12100	1200	06.01.05	10900
02.08.05 to 23.11.05	60 to 100	39 to 44	28600	Nil	Nil	28600
27.11.05 to 15.06.06	101 to 226	45 to 62	63300	Nil	Nil	63300
15.06.06 to 20.8.06	227 to 265	63 to 68	17800	Nil	Nil	17800
02.05.08 to 28.12.08	555 to 700	37 to 59	71900	5300 4150	04.09.08 29.08.08	62450
01.01.09 to 01.01.10	701 to 887	2 to 33	72000	Nil	Nil	72000
04.11.10 to 28.03.11	50 to 98	26 to 35	31700	Nil	Nil	31700
02.11.04 to 01.12.04	1809 to 1832	82 to 84	1349	Nil	Nil	1349
05.09.05 to 6.09.06	2001 to 2200	25 to 51	37230	12000 2195	20.06.06 20.09.06	23035
01.04.2000 to 03.05.2000	1201 to 1224	2 to 5	1850	Nil		1850
					Total	**312984**

7 ¼d½ efUnj nku ik= ls iklr vk; ₹120732@&dk lEHkkfor xcu½&

रेणुका जी विकास बोर्ड के रेणुका जी मेले के दौरान मन्दिर दान पात्र खोंलने से प्राप्त आय की जॉच में पाया गया कि मेले के दौरान प्राप्त दान की राषि, जिसका वर्णन समय–2 पर दान पात्र रजिस्टर में दिया गया था, की कोई प्रविष्टि सम्बन्धित रोकड़ वही में आय के रूप में नहीं की गई थी तथा न ही षामिल राषि को बैंक खाता

संख्या 606 और 4539/179 में जमा किया गया है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि दान पात्र से निम्न विवरणानुसार एकत्रित धनराषि ₹120732/—का सम्भावित दुर्विनियोजन किया गया है। अतः इस सम्बन्ध में नियमानुसार पूर्ण छानबीन की जाए तथा दुर्विनियोजन की स्थिति में सम्बन्धित से राषि की वसूली हेतु आवष्यक कार्रवाई करके अनुपालना से इस विभाग को षीध्र सूचित किया जाए।

nku ik= [kkyu dk fnukd@frfFk	nku ik= jftLVj i0l0	nku ik= jftLVj d vuklkj ,df=r jkf'k ¼₹½	tek dh xbZ jkf'k ¼₹½	jkf'k tek djus dh frfFk	efUnj nku ik= jftLVj es dVs QVs ukV n'kkdj de dh xbZ jkf'k	de tek dh xbZ jkf'k ¼₹½
04.11.2000	2	9252	षून्य	षून्य	84	9168
28.10.2004	14	1526	षून्य	षून्य	षून्य	1526
04.07.2005	15	58833	47809	05.07.2005	80	10944
08.11.2005	16	55458	षून्य	षून्य	षून्य	55458
19.01.2006	16	27995	22899	20.01.2006	60	5036
03.03.2006	18	18143	14883	6.03.06	60	3200
19.5.2006	18	58515	48515	19.05.06	षून्य	10000
02.09.2006	19	83386	57986	04.09.06	षून्य	25400
				.	dqy ;ksx	120732

¼[k½ efUnj nku ik= jftLVj es dVs QVs ukV n'kk dj vk; dks de djus ckjs%&

मन्दिर दान पात्र रजिस्टर की जॉच करने पर पाया गया कि मन्दिर दान पात्र रजिस्टर में निम्न तिथियों को मन्दिर में चढ़ावे की राषि को "नोट खराब थे जिन्हें बैंक द्वारा बदला नहीं जा सका" टिप्पणी दे कर कुल योग में से कम किया गया था।

fnukd	jkf'k ftldks fVIi.kh ns dj dqy ;ksx es ls de fd;k x;k Fkk
04.09.2000	257
04.11.2000	84
05.02.2001	216
11.05.2001	129
04.07.2005	80
19.01.06	60

03.03.2006	60
dqy ;ksx	₹886

उक्त प्रक्रिया/टिप्पणी सन्तोषजनक प्रतीत नहीं होती। प्रायः फटे नोटों को बैंक द्वारा स्वीकार किया जाता है। यदि नोट खराब थे और बैंक द्वारा उन्हें बदला नहीं गया था तो इस सम्बन्ध में बैंक से प्रमाण पत्र लिया जाना चाहिए था। अतः इस सम्बन्ध में उक्त नोटों के कार्यालय अभिलेख मे उपलब्ध होने की स्थिति मे पुनः बैंक से सम्पर्क करते हुए इन्हें बदलने हेतु उचित व्यवस्था की जाए अन्यथा कम की गई राषि की वसूली उचित माध्यम से करके कृत कार्रवाई से इस विभाग को षीध्र सूचित किया जाए।

8 uhykeh ls izkIr vk; ₹4260@&dk lEHkkfor xcu%&

श्री रेणुका जी मेला वर्ष 2006 की आय से सम्बन्धित नस्ति संख्या 2FC-37/36/2006 की जांच पर पाया गया कि नीलामी से प्राप्त आय, जिसका विवरण नीचे दिया गया है, को रोकड़ वही में दर्ज नहीं किया गया था। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस एकत्रित धनराषि का सम्भावित दुर्विनियोजन किया गया है।

uhykeh dh izkIr jkf'k dk fooj.k%&

uhykeh dk fooj.k	uhykeh dh frfFk	uhykeh ds mijkUr vkcafVr dk O;fDr dk uke	izkIr jkf'k	fVIi.kh
कुब्जा पेविलियन की कैन्टीन	28.10.06	श्री बलबीर सिंह	1260	राषि को रोकड़ वही में दर्ज नहीं किया गया
कुब्जा पेविलियन षौचालय	29.10.06	मै0 आदित्य नौर एंड कम्पनी चाहन	3000	राषि को रोकड़ वही मे दर्ज नहीं किया गया।
			₹4260	

अतः इस सम्बन्ध में आवष्यक छानवीन करके सम्बन्धित कर्मचारी से वसूली हेतु आवष्यक कार्रवाई की जाए तथा कृत कार्रवाई से यथासमय इस विभाग को सूचित किया जाए।

9 ₹1350@&dk xzkmUM jsUV de tek fd;k tkuk%&

रेणुका जी मेला 2005 के ग्राउन्ड रैन्ट के सम्बन्ध में पाया गया कि तहसीलदार संगड़ा ने पत्र संख्या Ta-Ra-Le/06-217 दिनांक 04.02.06 द्वारा सूचित किया था कि श्री रेणुका जी मेला, 2005 के दौरान ₹959143/– की राषि ग्राउन्ड रेन्ट के एवज में एकत्रित किए गए थे, जिसका विवरण निम्न प्रकार से दिया गया थाः–

(i)	Amount deposited in HP State Cooperative Bank Dadahu a/c No. 606	₹460581

(ii)	Amount given to CEO Shri Renuka Ji Development Board for different expenses of Shri Renuka Ji Fair 2005 in cash	₹488062
(iii)	Amount yet to be received from different department	₹10500
	Total	₹959143

लेकिन अंकेक्षण में जॉच के दौरान पाया गया कि H.P. State Cooperative Bank Dadahu A/C No. 606 में उक्त क्रम संख्या (i) में दर्षाए ₹460581 के स्थान पर ₹459231/–ही जमा करवाए गए थे। इस प्रकार तहसीलदार संगड़ा द्वारा H.P. State Cooperative Bank Dadahu A/C No. 606 में ₹1350/–कम जमा करवाए गए। अतः इस सम्बन्ध में अन्तर बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹1350/–की वसूली उचित माध्यम से करके षीध्र श्री रेणुका जी विकास बोर्ड के खाते मे जमा करवाई जाए व अनुपालना से इस विभाग को षीध्र सूचित किया जाए।

10 j.kdk th fodkl cksM dk j.kdk th esa fLFkr xsLV gkml ,oa dCtk iofy;u ¼ljk; Hkou½ dh vk; dks nsjh ls tek djok;k tkuk&

रेणुका जी विकास बोर्ड के रेणुका जी में स्थित गेस्ट हाउस एवं कुब्जा पवेलियन (सराय भवन) की आय की जॉच करने पर पाया गया कि निम्न रसीद बुकों से प्राप्त आय का रेणुका जी विकास बोर्ड की रोकड़ वही में देरी से इन्द्राज किया गया था, तथा प्राप्त आय को सम्बन्धित बैंक खाते में भी देरी से जमा करवाये जाने के परिणामस्वरूप अस्थाई दुर्विनियोजन किया गया है, जिससे इस एकत्रित धनराषि पर निष्चित ही ब्याज की हानि हुई है। अतः इस सम्बन्ध में आवष्यक छानबीन करके ब्याज की हुई हानि का निर्धारण कर चूककर्ता से वसूली की जाए तथा भविष्य में रेणुका जी मे स्थित गेस्ट हाउस एवं कुब्जा पवेलियन की प्राप्त आय को उचित समय अर्थात प्राप्ति के अगले कार्य दिवस को बैंक खातों में जमा किया जाना सुनिष्चित किया जाए व कृत कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण में अभिलेख सहित सूचित किया जाए।

Period	**Receipt No.**	**Guest House/Kubja Pavilion Register Page No.**	**Amount collected**	**Amount deposited**	**Date of deposit**
2.11.99 to 3.04.2000	169 to 242	6	17350	17350	05.04.2000
04.09.2000 to 31.01.2000	337 to 389	27	14350	14350	02.03.2001
14.08.2002 to 02.01.2003	672 to 717	71	16700	16700	03.02.2003
11.06.2005 to 28.07.2005	23 to 59	39	16400	16400	05.09.2005

02.09.2007 to 31.12.2007	444 to 511	30	35700	35700	07.07.2008

11- ₹1016351@^d 0;; okmpj@iek.kd e[; dk;dkjh vf/kdkjh] Jh j.kdk th fodkl ckM] ftyk flje©j }kjk iLrr u dju ckj&

श्री रेणुका जी मेले से सम्बन्धित लेखों की जांच में पाया गया कि रेणुका जी मेलों के दौरान एवं अन्य अवसरों पर उपायुक्त सिरमौर एवं अध्यक्ष श्री रेणुका जी विकास बोर्ड द्वारा श्री रेणुका जी विकास बोर्ड निधि से ₹397789/–'की राषि निम्न विवरणानुसार (क्र0सं0 6 से 13) चैक द्वारा तथा तहसीलदार संगड़ाह, जिला सिरमौर द्वारा ग्राउन्ड रेन्ट एवं मन्दिर दान पात्र से एकत्रित की गई धनराषि में से (क्र0सं0 1 से 5 के अनुसार) ₹618562/–की राषि सीधे तौर पर रोकड़ के रूप में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री रेणुका जी विकास बोर्ड, जिला सिरमैार को श्री रेणुका जी मेले के दौरान विकास कार्यों में व्यय करने हेतु समय–2 पर जारी किये गये थे लेकिन इससे सम्बन्धित समायोजन व्यय लेखें आज दिन तक प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, जो स्वतः ही गम्भीर अनियमितता है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 18/2012 दिनांक 18.01.2012 द्वारा श्री रेणुका जी विकास बोर्ड के अधिकारियों से उपरोक्त जारी राषि के उपयोग के समर्थन में प्रमाणिक/समायोजन व्यय लेखें अंकेक्षण में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस राषि के उपयोग से सम्बन्धित समायोजन व्यय लेखें अंकेक्षण में जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए। इस प्रकार अपेक्षित व्यय वाउचरों की जॉच हेतु प्रस्तुत न करने के अभाव में ऐसा प्रतीत होता है कि क्या वास्तव में निम्न राषियो का नियमानुसार उचित प्रकार से उपयोग/व्यय भी किया गया था अथवा नहीं। इस प्रकार मामला संदिग्ध प्रतीत होता है। अतः निम्न मामलों में किसी प्रकार की अनियमितता से बचने हेतु मामले की बोर्ड स्तर पर पूर्ण छानवीन की जाए तथा अपेक्षित व्यय वाउचरों को सम्बन्धित कार्यकारी अधिकारी से प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिष्चित किया जाए, अन्यथा षामिल धनराषि की उचित माध्यम से वसूली करके अनुपालना से यथासमय इस विभाग को अवगत किया जाए। इसके अतिरिक्त निम्न प्रकरण में क्रम संख्या 1 से 5 के अनुसार ग्राऊन्ड रेन्ट की प्राप्त राषि/आय को रोकड़ वही में लेखा बद्ध न करके सीधे तौर पर कार्यकारी अधिकारी को जारी किया जाना प्रतीत होता है, जो अनुचित प्रक्रिया है। इस त्रुटिपूर्ण वित्तीय प्रबन्धन के परिणामस्वरूप जहॉ एक ओर बोर्ड की वित्तीय स्थिति बारे सही स्थिति परिलक्षित नहीं होती वहॉ दूसरी ओर कार्य का अनुमान/आंकलन किये बिना निम्न प्रकार से भारी मात्रा में राषि जारी करना दुर्विनियोजन को बढ़ावा देना है। अतः बोर्ड प्रबन्धन का ध्यान समस्त प्रकरण में इस आषय के साथ लाया जाता है कि उक्त जारी अग्रिमों के समायोजन हेतु अपेक्षित अभिलेख षीध्र प्राप्त किये जाएं तथा भविष्य में विकास बोर्ड की प्राप्त आय को पहले रोकड़ वही में लेखा बद्ध करने व खातों में जमा करने के उपरान्त ही सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से आवष्यकतानुसार जारी की जाए।

Ø0l0	fooj.k	jkf'k
1	Paid to CEO RDB in cash out of Ground Rent on dated 30.11.03	48000
2	Paid to CEO RDB in cash out of Ground Rent collection during the period 21.04.04 to 27.11.04	62500

3	Paid to CEO RDB in cash during Renuka Ji Fair 2004 out of Ground Rent Collection.	15000
4	Paid to CEO RDB in cash during Renuka Ji Fair 2005 out of Ground Rent Collection.	5000
5	Paid to CEO RDB in cash during Renuka Ji Fair during the period 03.11.05 to 16.01.06	488062
6	Paid to CEO by Cheque No. 1961857 dated 15.01.02 for Renovation of Kubja Pavilion.	50000
7	Paid to CEO by Cheque No. 1961872 dated 28.10.02 for Construction of Water Tank of toilt and leveling of Mela Ground.	60000
8	Paid to CEO by Cheque No. 275148 dated 10.02.03 for construction of toilet.	10000
9	Paid to CEO by Cheque No. 283554 dated 14.06.04 for purchase of Boat.	10000
10	Paid to CEO by Cheque No. 706734 dated 02.06.05 for construction of Gate.	115000
11	Paid to CEO by Cheque No. 706733 dated 16.06.05 for construction of Ram Baudi, at Renuka Ji.	22789
12	Paid to CEO by Cheque No. 7067488 dated 29.09.05 for construction of Gate	80000
13	Paid to CEO by Cheque No. 707702 dated 31.10.05 for construction of Gate	50000
		10]16]351

12 ₹20000@&dk vfu;fer Hkqxrku%&

okmpj l[;k 'kU; ₹20000@&fnukd 07-11-2007

₹20000/– का भुगतान चैक संख्या 3753846 द्वारा सहायक अभियन्ता, श्री महामाया बालासुन्दरी न्यास त्रिलोकपुर, जिला सिरमौर को श्री रेणुका जी विकास बोर्ड, जिला सिरमौर के निर्माण कार्यों की देखरेख हेतु वाहन एवं यात्रा भत्ता के लिए किया गया था। इस भुगतान में निम्न आपत्तियॉ पाई गईः–

1 इस भुगतान से सम्बन्धित प्रस्ताव संख्या 25(18) दिनांक 13.9.07 जिसके पारित होने के फलस्वरूप सहायक अभियन्ता, श्री महामाया बालासुन्दरी न्यास त्रिलोकपुर, जिला सिरमौर को भुगतान किया गया, अंकेक्षण में जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे भुगतान की सत्यता की जॉच नहीं की जा सकी अर्थात ₹20000/–का भुगतान किस आधार व षर्तों पर एक मुष्त जारी किया गया स्पष्ट नहीं हो सका।

2 इस भुगतान के समायोजन हेतु सम्बन्धित सहायक अभियन्ता श्री महामाया बालासुन्दरी न्यास त्रिलोकपुर, जिला सिरमौर द्वारा कोई उपयोगिता प्रमाण पत्र/समायोजन व्यय लेखें प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा

इस आष्य का प्रमाण पत्र कि इस यात्रा/कार्य हेतु श्री महामाया बालासुन्दरी न्यास त्रिलोकपुर, जिला सिरमौर से अलग से कोई भुगतान प्राप्त नहीं किया गया था, प्राप्त नहीं किया गया। अतः इस प्रकार प्रमाण पत्र के अभाव में वाहन व यात्रा भत्ते के दोहरे भुगतान की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

अतः उक्त ₹20000/—के भुगतान के समर्थन में समायोजन व्यय लेखों सहित औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उक्त राषि की सम्बन्धित अधिकारी से वसूली करके अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

13 ₹20000@& dk vf/kd Hkqxrku%&

okmpj l[;k 'kU; ₹20000 fnukad 14-02*05

okmpj l[;k 'kU; ₹40000 fnukad 8-07-05

okmpj l[;k 'kU; ₹45000 fnukad 28-9-05

okmpj l[;k 'kU; ₹49382 fnukad 19-10-05

dqy ;kx ₹154382

₹154382/—का भुगतान विभिन्न चैकों द्वारा (जिसका विवरण नीचे "क" पर दिया गया है) श्री विनोद गर्ग प्रोप्राइटर मै0 ज्वाला लाइट एवं टैन्ट हाऊस नाहन को रेणुका जी मेला 2004 के दौरान मेला स्थल पर भोजन की व्यवस्था करने हेतु किया गया था जबकि अंकेक्षण में जॉच पर पाया गया कि मै0 ज्वाला लाईट एवं टैन्ट हाऊस, नाहन द्वारा बिल संख्या 2 दिनांक 30.12.04 द्वारा वास्तव में ₹134282/—का दावा ही प्रस्तुत किया था, जिसका विवरण नीचे "ख" पर दिया गया है।

¼d½ Hkqxrku dk fooj.k%&

pSd la0	fnukad	jkf'k ¼₹½
1689125	14.02.05	20000
1689131	08.07.05	40000
706747	28.9.05	45000
706750	19.10.05	49382
	dqy ;kx	154382

¼[k½ fcy l[;k 2 fnukad 30-12-04 dk fooj.k%&

Ø0 l0	fooj.k	jkf'k

1	कूपन सहित कुल खाने के चार्जिस	92502
2	दिनांक 21.11.04 व 26.11.04 को स्पेषल आइटम खाने में	18200
3	डिनर हाल में टैन्ट एंड लाईट की व्यवस्था हेतु	17680
	टैन्ट हाउस का सामान लाने व ले जाने हेतु वाहन के चार्जिज	6000
	d|y ;kx	134382

इस प्रकार मै0 ज्वाला लाईट एवं टैन्ट हाउस नाहन को ₹134382/—के दावे के स्थान पर ₹154382/—का भुगतान करके ₹20000/—का अधिक भुगतान किया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹20000/—की वसूली उचित माध्यम से करके अनुपालना से षीध्र इस विभाग को सूचित किया जाए।

14 ₹11347@&dk vf/kd Hk|xrku&

okmpj l[;k 'kU; ₹40000 fnukd 08-11-08

okmpj l[;k 'kU; ₹40000 fnukd 12-11-08

okmpj l[;k 'kU; ₹20000 fnukd 12-11-08

okmpj l[;k 'kU; ₹45000 fnukd 03-01-09

₹145000

₹145000/—का भुगतान मै0 ज्वाला लाईट एवं टैन्ट हाउस नाहन को उनके बिल संख्या षून्य दिनांक 28. 11.08 रेणुका जी मेले 2008 हेतु मेले स्थल पर भोजन की व्यवस्था करने के लिए किया गया था। अंकेक्षण में जॉच में पाया गया कि श्री रेणुका जी विकास बोर्ड अधिकारियों द्वारा मै0 ज्वाला लाईट एवं टैन्ट हाऊस नाहन को आर्डर संख्या षून्य दिनांक 30.10.2008 द्वारा मेले स्थल पर भोजन की व्यवस्था करने के आदेष दिए गये थें, इसके अतिरिक्त इस आदेष द्वारा किसी अन्य सामान हेतु आदेष नहीं दिया गया था। इस आदेष द्वारा श्री रेणुका जी विकास बोर्ड अधिकारियों द्वारा खाने की दर निम्न प्रकार से निर्धारित की गई थीः—

[kkus dk fooj.k	nj
Breakfast	20
Lunch	25
Dinner	25

मै0 ज्वाला लाईट एवं टैन्ट हाऊस नाहन द्वारा अपने बिल संख्या षून्य दिनांक 28.11.08 से निम्न खाने एवं अन्य सामान हेतु भुगतान की मॉग की गईः—

fdjk, ij fy, x, lkeku dk fooj.k&

Ø0l0	fooj.k	l0	nj	[kkus dh l0	d|y ;kx

1	Breakfast		20	1872	37440
2	Lunch		25	1619	40475
3	Dinner		25	2257	56425
	टेन्ट का सामान				
	परदे 7 दिन लिए	22	20 प्रति दिन प्रति परदा		3080
	मेज 7 दिन लिए	19	29 प्रति दिन प्रति मेज		3857
	ग्रीन फर्ष 7 दिन लिए	14	45 प्रति दिन प्रति ग्रीन फर्ष		4410
	कुल योग				145687

इस प्रकार उक्त फर्म द्वारा अनाधिकृत रूप से अधिक सामान हेतु भुगतान का दावा किया गया, जिसे श्री रेणुका जी विकास बोर्ड अधिकारियों द्वारा बिना उचित जॉच किए ₹145000/–का भुगतान किया गया। इस प्रकार मै0 ज्वाला लाईट एवं टैन्ट हाउस नाहन को टैन्ट का सामान का किराया, जिसका ऑर्डर संख्या षून्य दिनांक 30.10.2008 में कोई विवरण नहीं था, का अनियमित भुगतान किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मै0 ज्वाला लाईट एवं टैन्ट हाऊस नाहन ₹11347/–(₹3080+₹3857+₹4410) का अधिक भुगतान किया गया। अतः उक्त अधिक भुगतान का ठोस तथ्यों सहित औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹11347/–की वसूली उचित माध्यम से करके अनुपालना से इस विभाग को षीध्र सूचित किया जाए।

15 ₹17595@&dk vf/kd Hkqxrku&

okmpj l[;k 'kU; ₹55000 fnukd 15-11-2007

okmpj l[;k 'kU; ₹44135 fnukd 12-01-2008

₹99135

₹98595/–का भुगतान मै0 ज्वाला लाईट एवं टैन्ट हाऊस नाहन को उनके बिल संख्या 14 दिनांक 25.12.07 रेणुका जी मेले 2007 हेतु मेले स्थल पर बिजली के सामान जिसका विवरण निम्न दिया गया है, के किराए के लिए किया गया था।

e0 Tokyk ykbV ,o VUV gkÅl ukgu d fcy l[;k 14 fnukd 25-12-2007

vu lkj fctyh d lkeku dk fooj.k

Ø0 l0	fooj.k	l0	nj	fnu	कुल योग
1	लड़िया	238	8	5	9520
2	न्वार पट्टी	72	40	5	14400
3	हीलोजन 500 वॉट	83	25	5	10375
4	झूमर लाईट	55	40	5	11000
5	ट्यूब लाईट 40 वॉट	50	40	5	10000
6	बिर्केट लाईट	73	20	5	7300
7	जेनेटर 5 केवी वॉट	2	600	5	6000

8	पेपर डेकोरेषन	3000	5	15000
9	स्टेज लाईट	1500	5	7500
10	स्ट्रीट लाईट	1500	5	7500
	d|y ;kx			98595

अंकेक्षण दौरान जॉच पर पाया गया कि इस बिजली के सामान के किराये के लिए श्री रेणुका जी विकास बोर्ड के अधिकारियो द्वारा कुल ₹81000/-के बिल को भुगतान हेतु सत्यापित किया गया था। परन्तु उक्त फर्म को अनाधिकृत रूप से ₹98595/-का भुगतान चैक संख्या 4226669 दिनांक 15.11.07 एवं 4242614 दिनांक 12.01.08 द्वारा किया गया इस प्रकार ₹17595/-(₹98595-₹81000) का अधिक व अनियमित भुगतान किया गया। अतः मै0 ज्वाला लाइट एवं टैन्ट हाऊस नाहन को ₹81000/- के स्थान पर ₹98595 का भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹17595 के अनियमित भुगतान की वसूली उचित माध्यम से करके अनुपालना से इस विभाग को षीध्र सूचित किया जाए।

16 ₹10000@&dk vf/kd Hkqxrku&

रेणुका जी मेला 2004 से सम्बन्धित अभिलेखों की पड़ताल पर पाया गया कि सचिव, श्री रेणुका जी विकास बोर्ड द्वारा श्री रेणुका जी मेले में 24.11.2004 और 25.11.2004 की संध्या के लिए श्री संदीप दीक्षित और श्री कुलदीप षर्मा कलाकारों का मनोरंजन प्रोग्राम आयोजित करने हेतु श्री ज्योति विष्ट निवासी षांति किरण निवास, टूटी कंडी षिमला के साथ ₹80000/-में अनुबन्ध किया गया था। श्री रेणुका जी विकास बोर्ड द्वारा इस कार्य हेतु श्री ज्योति विष्ट को ₹5000/-की राषि चैक संख्या 1689102 दिनांक 05.11.2004 और ₹30000 दिनांक 24.11.2004 को नगद दिये गये थे। दिनांक 26.11.2004 को श्री ज्योति विष्ट को ₹55000 और नगद किये गये। इस प्रकार श्री ज्याति विष्ट को कुल ₹90000/-(₹5000+₹30000+₹55000) का भुगतान किया गया जबकि अनुबन्ध के अनुसार उन्हें केवल ₹80000/-का भुगतान किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार श्री ज्योति विष्ट को ₹10000/-का अधिक भुगतान किया गया। अतः श्री ज्योति विष्ट को ₹10000/-के अधिक भुगतान किए जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹10000/-की वसूली उचित माध्यम से करके श्री रेणुका जी विकास बोर्ड के खाते में वापिस जमा करवाई जाए व अनुपालना से इस विभाग को षीध्र सूचित किया जाए।

17 ¼d½ ₹6084@&dk lek;kstu fnukad 31-3-2011 rd u fd;k tkuk&

श्री रेणुका जी मेला 2007 से सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि श्री रेणुका जी विकास बोर्ड अधिकारियों द्वारा नायब तहसीलदार राददहु, जिला सिरमौर को ₹1000000/-की राषि श्री रेणुका जी मेला 2007 के आयोजन हेतु जारी की गई थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः-

pSd l0	fnukd	jkf'k	jkdM+ i`0	mís';
4239802	19.11.07	200000	34	श्री रेणुका जी मेला 2007 के आयोजन हेतु
4239807	22.11.07	200000	35	श्री रेणुका जी मेला 2007 के आयोजन हेतु
4239809	23.11.07	400000	35	श्री रेणुका जी मेला 2007 के आयोजन हेतु
रोकड़	24.11.07	200000		श्री रेणुका जी मेला 2007 के आयोजन हेतु
	dqy ;ksx	1000000		

नायब तहसीलदार दादहु, जिला सिरमौर द्वारा श्री रेणुका जी मेला 2007 के आयोजन हेतु उपरोक्त राषि में से निम्न राषि खर्च की गईः–

fnukd	en dk fooj.k	jkf'k	fVIi.kh
20.11.07	खाने, पट्रोल, लेबर, चार्जस, देवता पालकी, सांस्कृतिक दलो का भुगतान	63428	
21.11.07	सांस्कृतिक दलों का भुगतान	107654	
22.11.07	सांस्कृतिक दलों का भुगतान	207714	
23.11.07	सांस्कृतिक दलों का भुगतान	241420	
24.11.07	सांस्कृतिक दलों का भुगतान	373700	
	dqy ;ksx	993916	

इस प्रकार नायब तहसीलदार दादहु, जिला सिरमौर द्वारा ₹6084/–(₹1000000–₹993916) का समायोजन दिनांक 31.3.2011 तक नहीं किया गया था जो आपत्तिजनक है। अतः ₹6084/–की सम्बन्धित अधिकारी से दण्ड ब्याज सहित वसूली करके अनुपालना से इस विभाग को षीध्र सूचित किया जाए।

¼[k½ श्री रेणुका जी विकास बोर्ड के अभिलेख में ₹200000/–मै0 ब्राह्मण सभा गुड़गॉव से श्री रेणुका जी विकास बोर्ड के पक्ष में श्री रेणुका जी मेला 2007 हेतु दिनांक 24.11.07 को रोंकड़ के रूप में दान प्राप्त होने का जिक्र पाया गया परन्तु इस राषि को रोकड़ वही में दर्ज नहीं किया गया था जिसके अभाव में इस तथ्य की जॉच नहीं की जा सकी कि मै0 ब्राह्मण सभा गुड़गॉव द्वारा वास्तव में कब और कितनी राषि दान में दी गई थी परिणामस्वरूप इस राषि के दुर्विनियोजन होने से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः सुझाव दिया जाता है कि मै0 ब्राह्मण सभा गुड़गॉव से उक्त प्रकरण में दान की गई वास्तविक राषि की पुष्टि करके यह राषि किन परिस्थितियों में रोकड़ वही में दर्ज न करके कहॉ उपयोग की गई, समर्थित व्यय लेखों सहित स्पष्ट की जाए अन्यथा इस प्रकरण में आवष्यक

छानबीन करके सम्बन्धित से इसकी वसूली सुनिष्चित की जाए व अनुपालना से यथासमय इस विभाग को अवगत किया जाए।

18 ¼d½ fcuk fufonk;s vkefU=r fd, lkeku dh [kjhn djuk ckjs&

श्री रेणुका जी मेले से सम्बन्धित अभिलेखों की पड़ताल पर पाया गया कि निम्न मामलों में सामान की खरीद बाजार से निविदायें आमन्त्रित किए बिना ही की गई थी। जो आपत्तिजनक व अनियमित है। निविदायें आमंन्त्रित किए बिना खरीद करने से बाजार प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया जा सका। अतः निविदायें आमन्त्रित किये बिना निम्न खरीद का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके इसको नियमित करवाए। भविष्य में सामान की खरीद करने से पूर्व निविदायें आमन्त्रित किया जाना सुनिष्चित किया ताए ताकि बाजारी प्रतिस्पर्धा का बोर्ड के हित में लाभ उठाया जा सके व किसी प्रकार की अनियमितता सें भी बचाव किया जा सके।

Qe dk uke	[kjhn dk fnukd	fcy l0	jkf'k	[kjhns x, lkeku dk fooj.k
वर्मा इलैक्ट्रिकल	20.10.09	45	7871	इलैक्ट्रिकल & पी0वी0सी0 आइटम
वर्मा इलैक्ट्रिकल	22.10.09	46	4640	इलैक्ट्रिकल & पी0वी0सी0 आइटम
मनोज गुप्ता, दादहू	07.10.09	2229	3900	15 बैंग सीमेन्ट

¼[k½ okmpj l[;k 'kU; ₹155300@& fnukd 30-10-09

₹155300/–का भुगतान मै0 लेजर एडवरर्टाइजिंग नाहन को उनके बिल संख्या 192 दिनांक 30.10.09 के विरूद्ध रेणुका जी मेले 2009 के दौरान स्मृति चिन्ह की खरीद हेतु निम्न विवरणानुसार भुगतान किया गयाः–

Hkqxrku dk fooj.k&

pSd l0	fnukd	jkf'k
5474110	24.10.09	40000
रोकड़ भुगतान	31.10.09	60000
5474115	04.11.09	55300
dqy ;ksx		155300

Lefr fpUg ¼**Memoentos**½ dh [kjhn dk fooj.k&

Ø0 l0	fooj.k	l0	nj	dqy jkf'k
1	सिल्वर स्मृति चिन्ह	2	11400	22800
2	स्मृति चिन्ह विथ पी0सी0 कवर	25	1400	35000
3	स्मृति चिन्ह विद ब्रास स्टैंड	150	650	97500
				155300

उपरोक्त स्मृति चिन्हो की खरीद हेतु किसी प्रकार की कोई निविदाऐं आमन्त्रित नहीं की गई थी जिससे बाजार प्रतिस्पर्धा का फायदा नहीं उठाया जा सका। अतः उपरोक्त व्यय के सम्बन्ध में निविदाऐं आमन्त्रित नहीं करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा षामिल व्यय के नियमानुकूलन हेतु सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त की जाए व भविष्य में सामान की खरीद करने से पूर्व निविदायें आमन्त्रित किया जाना सुनिष्चित किया जाए ताकि रेणुका जी विकास बोर्ड के हित में बाजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाया जा सके।

19 udnh d: :i e: Hk:xrku dju: ckj:&

विभिन्न कलाकारों द्वारा श्री रेणुका जी मेले के दौरान दी गई प्रस्तुति के एवज में श्री रेणुका जी विकास बोर्ड द्वारा इन्हें चैक के माध्यम से भुगतान न करके नकदी के रूप में भुगतान किया गया था जबकि अन्य भुगतान चैक के माध्यम से किए गए थे। वास्तव में लेखाओं में पारदर्षिता लाने के लिए निम्न दर्षाए भुगतान भी चैक के माध्यम से किया जाना अपेक्षित था। अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य मं मेले के दौरान समस्त भुगतान चैक से ही किए जाने सुनिष्चित किए जायें तथा अनुपालना से अगामी अंकेक्षण में सूचित किया जाए।

Month	Name of artist Group	Amount paid.
11/2000	Sarswati Kala Sangam Bagshyad	15950
11/2000	Sh. Manjeet Singh Hamirpur	120000
11/2000	Bawa Musical Group BaijNath	25000
11/2000	Sh. Laxmi Natya Niketan Alsindi	19500
11/2000	Smt. Saroj Sandhu N. Delhi	30000
11/2000	Sutradhar Kala Sangam Kullu	45000
11/2000	Melody Musical Group Shimla	35000
11/2001	Sonali Vajpayee	66000
11/2001	Smt. Ravi Kanta Kashyap	30000
11/2001	Sabrang Kala Munch Mandi	18400
11/2001	Mandav Kala Munch Mandi	19550
11/2001	Smt. Kali Chauhan & Party Mandi	19700
11/2001	Shivani Sur Sangam Dharamshala	17000
11/2001	Thakurdas Rathi, Kullu	20000
11/2001	Bawa Musical Group BaijNath	24740
11/2001	Suket Kala Munch Karsog	20060

11/2001	Trivani Kala Munch Mandi	25000
11/2001	Manjri Kala Munch Chamba	24500
11/2001	Melody Mufical Group	20000
11/2002	Caltural Party Dugri, Mandi	16000
11/2002	Pulkit & Ramnik Entertainment Delhi	40000
11/2002	Cultural Party, Kinnaur	20800
11/2002	Sher Singh & Party Chamba	30000
11/2002	Kala Chetna manch, Panchkula	20000
11/2002	Bandna Kala manch, Chamba	30000
11/2002	Sh. Vinod Chadda for arranfing Shankar Shahni & Rekha Raj Programme	205000
11/2002	Navneet Kaur, Chandigarh	20000
11/2003	Viney Chauhan & Party Nahan	15000
11/2003	Amit Kumar Kala Mandir delhi	40000
11/2003	Sur Aur Caktra Solan	30000
11/2003	Karnail Rena, Kangra	15000
11/2003	Raj Kumar & Party Mandi	15000
11/2003	Kala chetna Manch, Panchkula	26500
11/2003	Smt. Sharda Sharma, Shimla	15000
11/2004	HIM Kala Sangam, Bilaspur, H.P.	20000
11/2004	Sh. Kailash Sharma	25000
11/2004	Smt. Shanti Heta Chudeshwar	14000
11/2004	Sur Sangam Entertainment Mandi	21000
11/2004	Vicky Chauhan & Group Shimla	50000
11/2004	Ravi Kanta Kashyap and Party, Mandi	35000
11/2004	Reena Thakur & Party	20000
11/2004	Vandana Kala Munch, Chamba	27400
11/2004	Ridim Musical Group, Mandi	25000
11/2004	Taran Taran Kala Sur Sangam Amritsar	20000
11/2004	HIM Resident Audit Scheme Lok sanskrit Dal Shimla-09	20000
11/2004	Manju Chisti Musical Group chamba	20000
11/2004	Malhotra musical Group	35000
11/2007	Thakur Dass Rathi, Kullu	30000
11/2007	Vickey Chauhan, Shimla	30000
11/2007	Vandana Kala Munch, Chamba	31800
11/2008	Punjab Kala Munch	22080
11/2008	Sunita Bhatti, Chandigarh	80000

11/2008	Karnail Rana, Dehra	20000
11/2008	Vimla Thakur, Delhi	61500
11/2008	Bibi Sindhu, Patiala	65000
11/2008	Sharda Sharma, Shimla	25000
11/2009	Sonu Music Group, Solan	30000
11/2009	Namak Ali & Manak Ali	45000

उपरोक्त के अतिरिक्त वाउचर संख्या षून्य मास 11/09 द्वारा ₹35990/—का भुगतान भी मै0 षिव इलैक्ट्रिकल काला अम्ब जिला सिरमौर को बिजली के उपकरणों की खरीद हेतु नकदी के रूप में किया गया। जो सामान्यता उचित प्रक्रिया नहीं है। अतः उक्त फर्म को नकद भुगतान करने का तथ्यों सहित औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में चैक के माध्यम से ही भुगतान किया जाना सुनिष्चित किए जाएं।

20 Jh j.kqdk th esys ls lEcfU/kr fofHkUu 0;; okmpjksa dk vadsk{k.k esa tkap gsrq izLrqr u djus ckjs&

श्री रेणुका जी मेले से सम्बन्धित विभिन्न व्यय वाउचरों को अंकेक्षण में आवष्यक जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे सभी व्यय वाउचरों का विवरण निम्न दिया गया है। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 18/2012 दिनांक 18.01.2012 द्वारा श्री रेणुका जी विकास बोर्ड के अधिकारियों से प्रमाणिक व्यय वाउचरों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक अपेक्षित व्यय वाउचरों को अंकेक्षण में जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। इन अपेक्षित व्यय वाउचरों को जॉच हेतु प्रस्तुत न करने के कारण मामला संदिग्ध प्रतीत होता है तथा इसमें गम्भीर अनियमतिताएं षामिल होने से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः मामला अध्यक्ष, मेला कमेटी के ध्यानार्थ इस आषय के साथ लाया जाता है कि इस सम्बन्ध में पूर्ण छानबीन करके अपेक्षित अभिलेख/प्रमाणिक व्यय लेखें आगामी अंकेक्षण के दौरान जॉच हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिष्चित किया जाए तथा अन्यथा स्थिति में नियमानुसार यथोचित कार्रवाई की जाए।

jksdM+ ogh i0l0	pSd l0@fnukad	jkf'k	Hkqxrku dk fooj.k
55	19611873/11.11.2002	30000	Paid to CEO RDB for for C/O Toilets at Renuka Ji.
92	2751492/31.10.03	9000	Description of payment not given.
97	282282/17.11.03	47160	Paid to M/S Quality Metal Rubber works,

			Ambala Cantt for purchase of MoMentos.
19	638348／17.11.04	10000	Paid to Palanners forum Nahan as advance for Renovation of Shri Renuka Ji Temple at Renkua.
129	1689103／17.11.04	10000	Advance given to DPRO Nahan.
129	1689105／19.11.04	20000	Advance given to Sh, Vinod Garg Prop. Jawala Sound & Light, Nahan.
130	706138／20.11.04	50000	Paid to Manager H.P. Tourism, Renuka Ji.
167	1689140／02.12.05	39086	Paid Advance to D.C.Sirmour.
167	1689141／02.12.05	15000	Paid to Azad Hind Store, Chandigarh.
168	1689145／16.12.05	7870	Paid to Sh. Karamvir Singh against Cost of VCD.
169	707712／20.12.05	4340	Paid to CEO RDB for Telephone Bill.
170	1689144／12.12.05	6975	Paid to new Mehak Restaurant Nahan.
170	1689146／19.12.05	4400	Paid to Principal Govt. degree College Nahan.

21 Jh j.kqdk th esys dh Lekfjdk esa fn;s x;s foKkiuksa ds iHkkjksa dh olwyh ckjs&

श्री रेणुका जी मेले की स्मारिका से प्राप्त आय की पड़ताल में पाया गया कि निम्न लिखित मामलों में श्री रेणुका जी मेले की स्मारिका में विभिन्न विभागों कार्यालयों व अन्य के विज्ञापन उपरोक्त पत्रिका में छापे गए थे लेकिन श्री रेणुका जी विकास बोर्ड द्वारा इन विज्ञापनों से ₹51800／–की वसूली योग्य राषि सम्बन्धित विभागों कार्यालयों व अन्यों से अंकेक्षण की समाप्ति तक प्राप्त नहीं की गई थी। अतः सम्बन्धित संस्थानों से आवष्यक पत्राचार करके इन राषियों को प्राप्त करने हेतु उचित कार्रवाई की जाए तथा श्री रेणुका जी विकास बोर्ड के बैंक खाते में जमा करवाया जाए व अनुपालना से इस विभाग को षीघ्र सूचित किया जाए।

Month	**Name of Department/Others**	**Amount of advertisement due**	**Amount received**	**amount due from the department/Others**
21.03.11	HP State Coop. Bank.Ltd.	20000	16600	3400
21.03.11	PO DRDA Nahan	10000	0	10000
21.3.11	CEO, HIMUDA	20000	16600	3400

	Shimla				
21.3.11	HPPCL, Renuka Dam, DDU	35000	10000		25000
21.3.11	TTTalai, Distt. Bilaspur	10000	0		10000
	Total				**51800**

22 y/k vkifÙk foojf.kdk& यह अलग से जारी नहीं की गई है।

23 fu"d"kZ& लेखाओं के रख–रखाव में सुधार की आवष्यकता है। इसके अतिरिक्त सुझाव दिया जाता है कि रेणुका जी मेले से सम्बन्धित सभी अभिलेख एक ही स्थल पर सुरक्षित रखे जाएं, साथ ही श्री रेणुका जी स्थित श्री रेणुका जी गेस्ट हाउस एवं कुब्जा पवेलियन (सराय भवन) से प्राप्त दैनिक किराए की राषि को अगले कार्य दिवस को बैंक में जमा करवाया जाना सुनिष्चित किया जाए व रोकड़ वही का रख रखाव व लेखन कार्य नियमित कर्मचारियों से करवाया जाए ताकि किसी स्त्तर पर अनियमितता की परिस्थिति में उनके विरूद्ध जिम्मेवारी निर्धारित की जा सके।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष, षिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी (15) (14) 291/12 खण्ड–3 दिनांक, षिमला–171009
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

i:thdr 1 अतिरिक्त उपायुक्त सिरमौर एवं उपाध्यक्ष श्री रेणुका जी विकास बोर्ड सिरमौर जिला सिरमौर हि0प्र0 को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर अतिषीध्र इस विभाग को भेजे।
2 जिलाधीष, सिरमौर जिला सिरमौर (हि0प्र0)
3 प्रधान सचिव भाषा एवं संस्कृति विभाग हि0.प्र0 सरकार षिमला–2
4 निदेषक, भाषा एवम् संस्कृति विभाग, हि0प्र0 षिमला–9

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष, षिमला–171009.